

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
46/21	88, 89, 91, 92A 188 R7A निपानिपा	निपानिपा	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
गंगाराम	बनाम	रामनारायण	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

27/21

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, 92ए आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 09.08.2021 को पेश हो।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला-बारां (राज.)

25/21

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
शिविर... निपानिपा पर पत्रावली पेश
हुई। पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित।
कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली
न्यायालय में दिनांक.. 28/11/21
को पेश हो।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा, जिला-बारां (राज.)

28/22

पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक... 6/11/22 को पेश हो।

[Signature]
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

4/6/22

आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में
दिनांक... 25/5/22 को पेश हो।

[Signature]
रीडर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

पत्रावली पेश हुई कमील नही व स्वयं नही उपर
 नही है कमील नही व स्वयं नही को रीत का
 आवाज लगाने गये काकभूट प्रमना के न्यायालय
 के उपर नही है अतः नही का काउ अडम एगरी
 अडम नही में खसरेक किया जाता है पत्रावली
 न्यायालय अडम काउ न्यायालय तकनीय के दाखिल
 उपर है

४